आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

भूमि विवाद निराकरण अपीलवाद सं0-288/2023

नुरैन खान...अपीलकर्त्ता

बनाम्

अफरोज खान एवं अन्य ....विपक्षी

आदेश

09.08.2024

प्रस्तुत अपीलवाद B.L.D.R. वाद सं0-54/2021-22 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिवान, सदर द्वारा दिनांक 18.11.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध इस स्तर पर दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता विगत दो तिथियों पर अनुपस्थित है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत भूमि आवेदकगण की खरीदगी भूमि है। विपक्षीगण द्वारा भी उक्त खेसरा में भूमि क्रय किया गया है। उभय पक्ष के मध्य प्रश्नगत भूमि पर स्वत्व निर्धारण से संबंधित विवाद है, जिसका निपटारा राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर का विषय है।

अपीलकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका का अवलोकन किया गया। आवेदक एवं विपक्षीगण के बीच मौजा-टड़वाँ, खाता सं0-123, खेसरा सं0-1219, रकबा-2-1-3 धूर में से रकबा 0-3-0 धूर की भूमि के संबंध में विवाद है। उभय पक्ष के बीच प्रश्नगत भूमि पर हकियत को लेकर विवाद है, जिसमें निर्धारण हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम प्राधिकार नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित कारण से प्रस्तुत अपीलवाद को ग्रहण के बिन्दु पर खारिज किया जाता है। अपीलकर्त्ता यदि चाहे तो अपने अनुतोष की प्राप्ति हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय के समक्ष वाद दायर कर सकते है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।